न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/15/2018	03–12–2018	02–08–2019

01– सुबेह सिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

01– बनवारी लाल पुत्र गणेश जाति कन्जर निवासी ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

02– तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) विरूद्ध आदेश दिनांक 01.09.1975 सहायक जिलाधीश अलवर

उपस्थितः–

01–श्री गोविन्दराम यादव — वकील प्रार्थी

–:निर्णयः–

अपीलांट ने यह प्रा.पत्र के आदेश दिनांक 01.09.1975 जिसके आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 2 बीघा बेजा तौर पर अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 2 बीघा चारागाह भूमि ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर में स्थित है। जिसे अप्रार्थी सं.1 को अलोट किया गया है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 19.11.2018 को हुई यह प्रा.पत्र बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है। आवंटन के पूर्व किसी प्रकार का कोई सर्वसाधारण सूचना जारी नहीं की गई। आवंटन नियम विरूद्ध हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 2 बीघा चारागाह की आराजी थी। जिसे बिना किसी परिवर्तन के आवंटन नही किया जा सकता। तहसीलदार मुण्डावर ने भी उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। बावजूद इसके अप्रार्थी सं. 1 को उक्त आराजी का आवंटन कर दिया गया। आवंटन पत्र में खसरा नम्बर 238 रकबा 6 बीघा के लिये आवेदन किया था। किन्तु उस आराजी का आवंटन ना करके खसरा नम्बर 330 रकबा 2 बीघा का आवंटन कर दिया। आवंटन की कार्यवाही मौके पर नहीं की गई। मात्र एक दिन में सहायक जिलाधीश अलवर द्वारा आवंटन की कार्यवाही की गई। विवादित आराजी पर बनवारी का कभी कब्जा नहीं रहा। जिस आधार पर अलोटमेंट निरस्तनीय हैं। बनवारी ने विवादित आराजी का बेचान कर दिया। अप्रार्थी सं.1 ने उक्त विवादित आरीाजी पर कभी काश्त नहीं की। जिस आधार पर भी अलोटमेंट निरस्त योग्य है। प्रार्थी लोक संस्था कमेटी जयपुर, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है, का जिलाध्यक्ष हैं। जो सार्वजनिक मामलों के बारे में विवादों के निस्तारण के लिये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अलवर (राज0)

अधिकृत है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर का अलोटमेंट दिनांक 01.09.1975 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। ग्राम सोडावास की आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया गया कि आवंटन विज्ञप्ति दिनांक 24.08.1975 के साथ जारी की गई। आवंटन योग्य भूमि की सूची में खसरा नम्बर 330 रकबा 2 बीघा का भी अंकन है तथा दिनांक 01.09.1975 को ग्राम सोडावास के समस्त आवंटियों की सूची जारी कर पटवारी हल्का को दखल दिलाने के आदेश दिये गये है। प्रार्थी द्वारा ये निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा खसरा नम्बर 238 रकबा 6 बीघा के लिये आवेदन किया था। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 को अन्य आराजी अलोट कर दी गई। इस संबंध में आवंटन पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि खसरा नम्बर 238 के लिये अन्य कई प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया था। लेकिन उक्त खसरा नम्बर किसी को भी अलोट नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में उक्त आवंटन की जानकारी नहीं होना बताया गया है। जबकि दखलनामा दिनांक 02.09.1975 में बतौर गवाह प्रार्थी के हस्ताक्षर मौजूद है। वकील प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त विवादित आराजी का बेचान कर दिया गया है। लेकिन उक्त संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है तथा यदि उक्त आराजी का बेचान हो गया है तो उक्त आराजी के क्रेता को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। प्रा.पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मुण्डावर को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)